फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना शमसाबाद

दिनांक :-31.07.2025

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण एवं कारतूस बरामद।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री हरिश चंदर** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी कायमगंज **श्री संजय वर्मा** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-159/2025 धारा-5/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त **शिव कुमार पुत्र सुल्तान सिंह निवासी ग्राम गदनपुर चैन थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़** को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शिव कुमार पुत्र सुल्तान सिंह निवासी ग्राम गदनपुर चैन थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 31.07.2025 को थानाध्यक्ष श्री तरुण सिंह थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ मय हमराहीयान के थाना क्षेत्र में देखरेख क्षेत्र शान्ति व्यवस्था जुर्म जरायम तलाश वांछित संदिग्ध वाहन /व्यक्ति की चैकिंग में रवाना होकर अलेपुर पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चैकिंग कर रहे थे। दौराने चैकिंग मुखविर खास ने आकर सूचना दी कि गांव गदनपुर चैन के पास एक खेत में रखे खोखा के पास बनी झोपडी में एक व्यक्ति अवैध शस्त्र बना रहा है यदि जल्दी की जाये और शतर्कता बरती जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय हमराहीयान मय मुखविर के पहुँचे तथा मुखविर द्वारा करीव 150 मीटर दूर से इशारा करके चला गया था। ग्राम गदनपुर चैन के पहले बायीं ओर जा रहे रास्ते पर जो झोपडी बनी हुई है में अवैध असलाह बना रहा था जिसकी जामा तलाशी व पास में रखे 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर , दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर कारतूस , 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर , एक जिन्दा कारतूस जिसकी पैंदी पर पिन का निशान बना हुआ है जिसकी पैंदी पर 711 , 77 लिखा हुआ है। एक अदद जिन्दा कारतूस जिसकी पैंदी पर Z6 , 7K अपठनीय लिखा है, 05 अदद खोखा कारतूस 315 बोर , दो अदद देशी अधबनी बन्दूक बॉडी , एक लोहे की नाल अधबनी 315 बोर व एक लोहे की नाल अधबनी 12 बोर , 05 पाइप लोहे के टुकडा , एक अदद सडासी लोहे की , एक अदद लोहे की रेती , 02 अदद सुन्नी लोहे की , एक अदद छेनी लोहे की , एक अदद लोहे का प्लास , 05 अदद लोहे की पत्ती , एक अदद रबर की पत्ती , एक रिंच लोहे की , तीन टुकडे रेगमाल , 07 अदद लोहे के नट मय बोल्ट , 10 अदद लोहे के नट , एक अदद स्प्रिंग पीली , एक अदद हथोडी , एक अदद आग में हवा देने का उपकरण के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि साहब मैं अपना व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यह असलाह बनाता था और बाहर जाकर अंजान व्यक्तियों को बेच देता था।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर
2. 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर
3. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर कारतूस
5. 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर
6. 01 जिन्दा कारतूस जिसकी पैंदी पर पिन का निशान बना हुआ है जिसकी पैंदी पर 711, 77 लिखा हुआ है
7. 01 अदद जिन्दा कारतूस जिसकी पैंदी पर Z6 , 7K अपठनीय लिखा है।

8. 05 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
9. 02 अदद देशी अधबनी बन्दूक बॉडी
10. 01 लोहे की नाल अधबनी 315 बोर
11. 01 लोहे की नाल अधबनी 12 बोर
12. 05 पाइप लोहे के टुकडा
13. 01 अदद सडासी लोहे की
14. 01 अदद लोहे की रेती
15. 02 अदद सुन्नी लोहे की
16. 01 अदद छेनी लोहे की
17. 01 अदद लोहे का प्लास
18. 05 अदद लोहे की पत्ती
19. 01 अदद रबर की पत्ती
20. 01 रिंच लोहे की
21. 03 टुकडे रेगमाल
22. 07 अदद लोहे के नट मय बोल्ट
23. 10 अदद लोहे के नट
24. 01 अदद स्प्रिंग पीली
25. 01 अदद हथोडी
26. 01 अदद आग में हवा देने का उपकरण

अभियुक्त शिव कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1- मु0अ0सं0-159/2025 धारा- 5/25 आर्म्स एक्ट थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री तरुण सिंह
2. उ0नि0 श्री मिथलेश कुमार
3. हे0का0 मनोज कुमार
4. का0 तरुण कुमार
5. का0 नवीन कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक-31.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त तुषार कुमार पुत्र दिनेश कुमार निवासी अम्बेडकर कालौनी भोलेपुर थाना कोतवाली फतेहगढ मु0अ0स0 133/2020 वाद संख्या 1072/2020 धारा 376 भा0द0वि0 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए *दिनांक 31.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिध्द कर 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

एडीजीसी - अनिल कुमार

को0मो0हे0का0 सुनील कुमार

पैरोकार हे0का0 शैलेन्द्र कुमार

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दिनांक-31.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त प्रेम बाबू जाटव पुत्र रामवीर निवासी सिठौली थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0 153/2000 वाद संख्या 5351/2019 धारा 279,304ए भा0द0वि0 थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 31.07.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिध्द कर 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एपीओ - जितेन्द्र कुमार

को0मो0का0 प्रिन्स तेवतिया

पैरोकार का0 कपिल कुमार